केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 25)

[28 मई, 2007]

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— 1995 के अधिनियम 7 की धारा 8 का संशोधन।

''(1) प्रत्येक केबल आपरेटर,—

(i) संसद् द्वारा या उसकी ओर से, उस रीति में और उस नाम से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रचालित चैनल;

(ii) प्राइम बैंड में कम से कम दो दूरदर्शन के स्थलीय चैनल और किसी राज्य की प्रादेशिक भाषा के एक चैनल,

का स्थलीय आवृत्तियों का उपयोग करने वाली आवृत्तियों से भिन्न आवृत्तियों पर उपग्रह के माध्यम से पुनःपारेषण करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चैनलों को ऐसे चैनलों पर पारेषित किसी कार्यक्रम में किसी विलोपन या परिवर्तन के बिना पुनःपारेषित किया जाएगा।''।

राष्ट्रपति ने दि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2706OLW(S-5)—30.07.2007.